BCCI BULLETIN

Vol. XXXXX | May 2019 | No. 05

Estd. 1926

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में सम्भाली देश की बागडोर

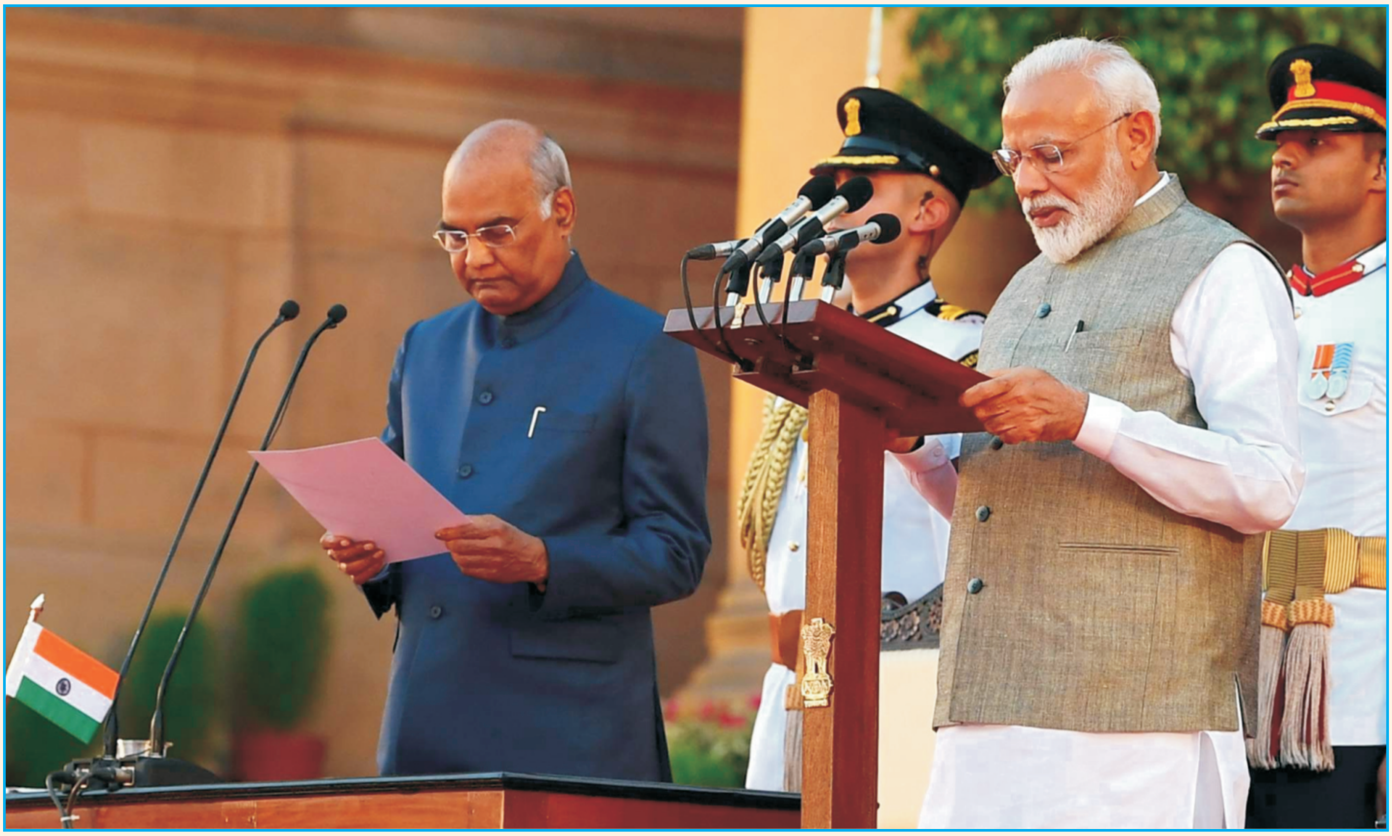

माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी को लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर उन्हें एवं उनके मंत्रीमंडल के मंत्रीगणों को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से तथा बिहार के समस्त व्यवसायियों के तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।

– पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष

THE UNION COUNCIL OF MINISTERS AND THEIR PORFOLIO

Shri Narendra Modi : Prime Minister and also in-charge of: Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions; Department of Atomic Energy; Department of Space; and All important policy issues; and All other portfolios not allocated to any Minister.

CABINET MINISTERS

1. **Shri Raj Nath Singh** : Minister of Defence.
2. **Shri Amit Shah** : Minister of Home Affairs.
3. **Shri Nitin Jairam Gadkari** : Minister of Road Transport & Highways; and Minister of Micro, Small and Medium Enterprises.
4. **Shri D.V. Sadananda Gowda** : Minister of Chemicals and Fertilizers.
5. **Smt. Nirmala Sitharaman** : Minister of Finance; and Minister of Corporate Affairs.
6. **Shri Ramvilas Paswan** : Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.
7. **Shri Narendra Singh Tomar** : Minister of Agriculture

and Farmers Welfare; Minister of Rural Development; and Minister of Panchayati Raj.

8. **Shri Ravi Shankar Prasad** : Minister of Law & Justice; Minister of Communications; and Minister of Electronics & Information Technology.

9. **Smt. Harsimrat Kaur Badal** : Minister of Food Processing Industries.

10. **Shri Thaawar Chan Gehlot** : Minister of Social Justice and Empowerment.

11. **Dr. Subrahmanyam Jaishankar** : Minister of External Affairs.

12. **Shri Ramesh Pokhriyal 'Nishank'** : Minister of Human Resource Development

13. **Shri Arjun Munda** : Minister of Tribal Affairs

14. **Smt. Smriti Zubin Irani** : Minister of Women and Child Development; and Minister of Textiles.

15. **Dr. Harsh Vardhan** : Minister of Health and Family Welfare; Minister of Science & Technology; and Minister of Earth Sciences.

16. **Shri Prakash Javadekar** : Minister of Environment, Forest & Climate Change; and Minister of Information & Broad-casting.

17. **Shri Piyush Goyal** : Minister of Railways; & Minister of Commerce and Industry.

18. **Shri Dharmendra Pradhan** : Minister of Petroleum & Natural Gas; and Minister of Steel.

19. **Shri Mukhtar Abbas Naqvi** : Minister of Minority Affairs.

20. **Shri Pralhad Joshi** : Minister of Parliamentary Affairs; Minister of Coal; & Minister of Mines.

21. **Dr. Mahendra Nath Pandey** : Minister of Skill Develop-ment and Entrepreneurship.

22. **Shri Arvind Ganpat Sawant** : Minister of Heavy Industries & Public Enterprise

23. **Shri Giriraj Singh** : Minister of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries.

24. **Shri Gajendra Singh Shekhawat** : Minister of Jal Shakti.

MINISTERS OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)

1. **Shri Santosh Kumar Gangwar** : Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Labour and Employment.

2. **Rao Inderjit Singh** : Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Statistics and Programme Implementation; and Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Planning.

3. **Shri Shripad Yesso Naik** : Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH); and Minister of State in the Ministry of Defence.

4. **Dr. Jitendra Singh** : Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Develop-ment of North Eastern Region; Minister of State in the Prime Minister's Office; Minister of State in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions; Minister of State in the Department of Atomic Energy; and Minister of State in the Department of Space.

5. **Shri Kiren Rijiju** : Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Youth Affairs and Sports; and Minister of State in the Ministry of Minority Affairs.

6. **Shri Prahalad Singh Patel** : Minister of State (Indepen dent Charge) of the Ministry of Culture; and Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Tourism.

7. **Shri Raj Kumar Singh** : Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Power; Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of New and Renewable Energy; and Minister of State in the Ministry of Skill Deve-

lopment and Entrepreneurship.

8. **Shri Hardeep Singh Puri** : Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Housing and Urban Affairs; Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Civil Aviation; & Minister of State in the Ministry of Commerce and Industry.

9. **Shri Mansukh L. Mandaviya** : Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Shipping; and Minister of State in the Ministry of Chemicals & Fertilizers.

MINISTERS OF STATE

1. **Shri Faggansingh Kulaste** : Minister of State in the Ministry of Steel.

2. **Shri Ashwini Kr. Choubey** : Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare.

3. **Shri Arjun Ram Meghwal** : Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs; and Minister of State in the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises.

4. **General (Retd.) V. K. Singh** : Minister of State in the Ministry of Road Transport and Highways.

5. **Shri Krishan Pal** : Minister of State in the Ministry of Social Justice and Empowerment.

6. **Shri Danve Raosaheb Dadarao** : Minister of State in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.

7. **Shri G. Kishan Reddy** : Minister of State in the Ministry of Home Affairs.

8. **Shri Parshottam Rupala** : Minister of State in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.

9. **Shri Ramdas Athawale** : Minister of State in the Ministry of Social Justice and Empowerment.

10. **Sadhvi Niranjan Jyoti** : Minister of State in the Ministry of Rural Development.

11. **Shri Babul Supriyo** : Minister of State in the Ministry of Environ-ment, Forest & Climate Change.

12. **Shri Sanjeev Kumar Balyan** : Minister of State in the Ministry of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries.

13. **Shri Dhotre Sanjay Shamrao** : Minister of State in the Ministry of Human Resource Development; Minister of State in the Ministry of Communications; and Minister of State in the Ministry of Electronics and Information Technology.

14. **Shri Anurag Singh Thakur** : Minister of State in the Ministry of Finance; and Minister of State in the Ministry of Corporate Affairs.

15. **Shri Angadi Suresh Channabasappa** : Minister of State in the Ministry of Railways.

16. **Shri Nityanand Rai** : Minister of State in the Ministry of Home Affairs.

17. **Shri Rattan Lal Kataria** : Minister of State in the Ministry of Jal Shakti; and Minister of State in the Ministry of Social Justice and Empowerment.

18. **Shri V. Muraleedharan** : Minister of State in the Ministry of External Affairs; and Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs.

19. **Smt. Renuka Singh Saruta** : Minister of State in the Ministry of Tribal Affairs.

20. **Shri Som Parkash** : Minister of State in the Ministry of Commerce and Industry.

21. **Shri Rameswar Teli** : Minister of State in the Ministry of Food Processing Industries.

22. **Shri Pratap Chandra Sarangi** : Minister of State in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises; & Minister of State in the Ministry of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries.

23. **Shri Kailash Choudhary** : Minister of State in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.

24. **Sushri Debasree Chaudhuri** : Minister of State in the Ministry of Women and Child Development.

(Source : Press Communique, Rashtrapati Bhawan, Dt. - 31.05.2019)

अध्यक्ष की कलम से......

प्रिय बंधुओं,

यह बुलेटिन जब तक आपके हाथों में होगी, तब तक केन्द्रीय मंत्रीमंडल का गठन हो चुका होगा। इस बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने प्रचंड जीत प्राप्त की है। इस जीत के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को एवं समस्त लोकसभा सांसदों को मैं अपनी ओर से एवं आप सभी व्यवसायी बन्धुओं की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ।

नई सरकार से हमारी मांग है कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य के औद्योगिक उत्थान पर विशेष बल देने की कृपा की जाये, क्योंकि बिहार के विभाजन के पश्चात् राज्य में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध नहीं है और राज्य के सीमित संसाधनों से बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्थान संभव नहीं है एवं औद्योगिक विकास के बिना राज्य की उन्नति हेतु दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है।

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बिहार में लगने वाले उद्योगों के लिए विशेष इन्सेंटिव देने का प्रावधान करें या विशेष फंड बनायें क्योंकि राज्य सरकार के संसाधनों से संभव नहीं है। राज्य सरकार का जो बजट होता है वह मात्र 500 – 1000 करोड़ का होता है जिससे नये निवेशकों को विशेष इन्सेंटिव देना संभव नहीं है। जिस प्रकार अन्य स्पेशल स्टेटस वाले राज्यों के निवेशकों को वाणिज्य–कर, आयकर, एक्साईज टैक्स एवं अन्य करों में छूट प्रदान की जाती है उसी प्रकार बिहार में भी ऐसे छूट का प्रावधान किया जाये ताकि अधिकाधिक निवेशक बिहार में उद्यम लगाने के लिए आगे आवें। नये उद्यम लगेंगे तो रोजगार सृजन होगा, राजस्व में वृद्धि होगी एवं जीडीपी बढ़ेगा।

GST लागू होने के बाद भी कई प्रकार के करों का बोझ व्यवसायियों पर है जैसे – लेबर लाईसेंस, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, प्रोविडेंड फंड, नगर निगम ट्रेड लाईसेंस, FSSAI, मार्केटिंग रेगुलेटरी कमीटी, माप–तौल, फायर लाईसेंस, फैक्ट्री लाईसेंस, प्रोफेसनल टैक्स, मिनरल लाईसेंस, वाटर लाईसेंस, प्रदूषण लाईसेंस आदि जिसे केन्द्र सरकार को समाप्त करना चाहिए। सरकार से अनुरोध है कि यदि इसे समाप्त करना संभव नहीं है तो इसमें नवीनीकरण का जो प्रावधान है, उसे समाप्त कर एक मुश्त राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि व्यवसायियों को राहत हो।

नई केन्द्र सरकार से आपकी भी कुछ अपेक्षाएँ होंगी। उससे हमें कृपया अवगत कराने की कृपा करेंगे।

इस माह में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार घोष के साथ दिनांक 1 मई 2019 को चैम्बर में बैठक हुई।

दिनांक 2 मई 2019 को श्री रंजन प्रकाश ठाकुर, मंडल रेल प्रबंधक, दानापुर मंडल के साथ बैठक हुई।

श्री प्रवीण मोहन सहाय, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के साथ दिनांक 10 मई 2019 को बैठक हुई।

श्री बी.सी.एच. नेगी, एयरपोर्ट निदेशक, जयप्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, पटना के साथ दिनांक 27 मई 2019 को बैठक हुई।

उक्त बैठकों की संक्षिप्त रिपोर्ट इसी बुलेटीन में प्रकाशित है। बैठकें काफी उपयोगी रहीं।

सादर।

आपका

पी. के. अग्रवाल

चैम्बर में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष के साथ बैठक

बैठक को सम्बोधित करते बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार घोष।
उनकी बाँयी ओर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के श्री एस० एन० जायसवाल तथा दाँयी ओर क्रमशः चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं रेलवे सब कमिटी के संयोजक श्री ए० के० पी० सिन्हा।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 1 मई 2019 को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार घोष के साथ एक बैठक हुई। इस अवसर पर नियंत्रण पर्षद के श्री एस. एन. जायसवाल भी उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर ने की।

स्वागतोपरांत चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर ने अपने स्वागत संबोधन

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार घोष को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर ।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के श्री एस० एन० जायसवाल को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी।

में कहा कि मैं घोष साहब को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने चैम्बर के अनुरोध पर राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के विभिन्न योजनाओं, नियमों एवं प्रावधानों में हुए परिवर्तन एवं संशोधन के संबंध में विस्तृत जानकारी देने हेतु हमारे बीच पधारने की कृपा की है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की बैठक से उद्यमी एवं व्यवसायी काफी लाभान्वित होंगे तथा उनके मन में जो भी आशंकाएं होंगी उससे घोष साहब को अवगत करायेंगे जिससे कि उनकी आशंकाओं का हल हो सके।

श्री ठाकुर ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से संबंधित कुछ प्रमुख बिन्दुओं पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट कराया जो निम्नांकित हैं :-

- उद्योग द्वारा दिए गए आवेदनों को यदि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा किसी कारणवश रद्द किया जाता है तो पुन: आवेदन करने पर उसी कार्य के लिए पुन: आवेदन शुल्क का प्रावधान नहीं होना चाहिए।
- व्यवसाय एवं उद्योग में बहुत सारे खतरनाक (Hazards) electronic or non-electronic कचरा निकलता है जिसके निस्तारण (Disposal) का प्रावधान e-waste collection की भांति किया जाना चाहिए।
- सैमसंग मोबाईल वर्कशॉप को कम्पनी की ओर से e-waste collection Centre के रूप में चिन्हित किया गया है परन्तु इसके कोई भी सेन्टर को इसकी जानकारी नहीं है। अत: पर्षद की ओर से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme) में बिहार के 10 प्रमुख शहरों यथा - पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, कटिहार आदि को समाहित करने हेतु आपके स्तर से अनुशंसा किया जाना चाहिए।
- वायु प्रदूषण की समस्या आये दिन बढ़ती जा रही है। हवा को खींचकर फिल्टर की मदद से हवा में घुले सभी छोटे-छोटे कणों को फिल्टर कर वायुमंडल में साफ हवा छोड़ने के लिए पटना में भी मशीन लगाने का प्रस्ताव था। इस संबंध में आपसे अद्यतन जानकारी चाहेंगे।
- राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग पर पूर्णत: प्रतिबंध का दायित्व अन्य विभागों के साथ-साथ आपको भी दिया गया है। इस संबंध में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चला कर लोगों को बताया जाए जिससे कि लोगों के बीच व्याप्त भ्रांतियाँ दूर हो सके।
- ध्वनि प्रदूषण पर माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है परन्तु अभी भी ऐसा देखा गया है कि प्रतिबंधित अवधि जो रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक की है, इसमें भी Loud Speaker बजाया जाता है। अत: इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही पटना के विभिन्न भागों में अवस्थित होटलों एवं मैरेज हॉल के बाहर सख्ती से अनुपालन का बोर्ड लगाया जाना चाहिए तथा उक्त बोर्ड में इसके Violation पर उसकी सूचना देने के लिए संबंधित पदाधिकारियों का मोबाइल नम्बर भी दिया जाना चाहिए। शादी-विवाह में देर रात को बजने वाले डीजे, बैंड आदि पर सख्ती से रोक लगाए जाने की आवश्यकता है।
- उद्योगों के आवेदनों को लम्बे समय तक लंबित रखा जाता है जिसके परिणामस्वरूप अनावश्यक बिलम्ब होता है अत: इसके लिए समय सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए।
- नमामी गंगे योजना के तहत केन्द्र सरकार ने प्रदूषण पर रोक हेतु पटना एवं बरौनी में जाँच प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण की मंजूरी दी थी, इस संबंध में आपसे अद्यतन जानकारी चाहेंगे।
- भारत सरकार के केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का प्रतिनिधित्व हेतु आपके स्तर से अनुशंसा किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने अपने संबोधन में कहा कि उद्योगों का किसी कारणवश यदि आवेदन को रद्द किया जाता है तो पुन: आवेदन शुल्क का जो प्रावधान है वह नहीं लगे, इसके लिए हम कानूनी परामर्श लेंगे।

खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निस्तारण के संबंध में अध्यक्ष ने कहा कि BIADA से प्राथमिकता के आधार पर जमीन उपलब्ध कराने का बोर्ड की तरफ से अनुरोध किया गया है। e-waste के पुनर्चक्रण (Recycling) इकाई लगाने के लिए उन्होंने उद्यमियों से अपील भी की।

बड़ी कम्पनियों से खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों/समानों को लेने हेतु भी अनुरोध किया गया है। साथ ही इसके लिए EDP को Promote करना चाहिए।

श्री घोष ने आगे कहा कि Samsung मोबाईल बर्कशॉप को कम्पनी की ओर से e.waste collection centre के रूप में चिन्हित किये गये स्थानों की लोगों को पूर्ण जानकारी हो, इसके लिए वे कम्पनियों से बात करेंगे।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP 102 शहरों को online monitoring करेगा। BSPCB की तरफ से बिहार के 10 शहरों यथा पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, कटिहार को भी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में जोड़ने का अनुरोध हम करेंगे।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग पर पूर्ण प्रतिबंध हेतु हम अपनी ओर से कई बार जागरूकता अभियान चला चुके हैं, थैले भी बाँटे हैं और प्लास्टिक से होने वाली समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान आकृष्ट कर, कैरी बैग का प्रयोग न करने की सलाह सहित, उपयोग करते पकड़े जाने पर जुर्माने के बारे में भी बता दिया है। इसके लिए छापे की कार्रवाई की गयी है। अभी चुनाव को लेकर कार्रवाई में विलम्ब हो रहा है, परन्तु चुनाव के बाद कैरी बैग के प्रतिबंध हेतु पुन: सघन अभियान चलाया जायेगा और कार्रवाई की जायेगी।

ध्वनि प्रदूषण पर माननीय पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के मुताबिक बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से प्रतिबंधित अवधि में Loud Speaker, DJ आदि को बजाने पर प्रतिबंध हेतु बोर्ड द्वारा कारगर कदम उठाये गये हैं।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार घोष को चैम्बर का कॉफी टेबुल बुक भेंट करते कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल। साथ में उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी ।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के श्री एस० एन० जायसवाल को कॉफी टेबुल बुक भेंट करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर। साथ में श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय, श्री अनिल पचीसिया एवं श्री आलोक पोद्दार।

इस संदर्भ में पटना में या और शहरों में कितने होटल और मैरेज हॉल हैं, इसका Data तैयार करवा रहे हैं और उन्हें DJ, बैण्ड/लाउडस्पीकर आदि प्रतिबंधित समय पर बजाने से रोकने हेतु आवश्यक आदेश देंगे।

श्री घोष ने कहा कि उद्योगों के आवेदनों में यदि सभी कागजात सही हैं और उनके आवेदन पर विलम्ब हो रहा है तो उनसे मिलें। वे वस्तु स्थिति को स्वयं देखकर उचित आदेश देंगे। कई औद्योगिक ईकाईयों से मांगी गयी सूचनाओं का जबाव ईकाई नहीं देते हैं, इससे भी विलम्ब होता है। अब तो सभी आवेदन online है, अपने आवेदन की वस्तु स्थिति हमारे वेवसाईट पर स्वयं देख सकते हैं। मैं स्वयं भी कम्प्यूटर पर इन सभी को monitor करता हूँ।

नमामि गंगे योजना के तहत केन्द्र सरकार ने पटना एवं बरौनी में जाँच प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण की मंजूरी दी है। इसमें जूनीयर की नियुक्ति की जा चुकी है। Man power पूरा हो गया है आगे मशीनों को लगाने का कार्य भी किया जा रहा है।

श्री घोष ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का भारत सरकार के केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में प्रतिनिधित्व हेतु अनुशंसा के अनुरोध पर कहा कि वे इसकी अनुशंसा करेंगे।

उन्होंने बताया कि बिहार के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के द्वारा जो भी काम हो रहे हैं उसे पूरे देश में recognize किया जा रहा है।

बैठक में श्री ए. के. पी. सिन्हा, श्री रामाशंकर प्रसाद, डॉ रमेश गाँधी, श्री जे. के. झुनझुनवाला, श्री जी. पी. सिंह, श्री अनिल पचीसिया, श्री सुबोध जैन सहित कई लोगों ने प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित समस्याओं की ओर अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित किया एवं अपने सुझाव भी दिये।

इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष ने श्री अशोक कुमार घोष एवं श्री एस. एन. जायसवाल को चैम्बर का कॉफी टेबुल बुक भेंट किया।

बैठक में चैम्बर कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी के अतिरिक्त श्री सुभाष पटवारी, श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय, श्री राजेश कुमार खेतान, श्री सुनील सराफ, श्री रामचन्द्र प्रसाद, श्री राजकुमार सराफ, श्री आलोक पोद्दार, श्री आशीष शंकर, डॉ. बी. बी. वर्मा, श्री ए. एम. अंसारी सहित कई सदस्य उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन महामंत्री श्री अमित मुखर्जी ने किया।

मंडल रेल प्रबन्धक, दानापुर मंडल के साथ चैम्बर की बैठक

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 2 मई, 2019 को रेलवे से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श हेतु उद्यमियों एवं व्यवसायियों के साथ एक बैठक दानापुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री रंजन प्रकाश ठाकुर के साथ हुई। बैठक की अध्यक्षता चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर ने की। इस अवसर पर वरीय मंडल वाणिज्यिक प्रबन्धक श्री आधार राज भी उपस्थित थे।

चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि किसी भी देश एवं राज्य के आर्थिक विकास में रेल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बिहार राज्य के क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की तुलना में रेलवे लाइन की कमी है। बिहार राज्य के कृषि एवं अन्य उत्पादों के आलोक में अधिकाधिक क्षेत्र को रेल से जोड़ने की आवश्यकता है तभी बिहार का चहुमुखी विकास संभव है। उन्होंने आगे कहा कि यह संतोष की बात है देश के अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ रेलवे ने भी माल ढुलाई एवं यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काफी काम किया है तथा देश में कई ऐसी गाड़ियों का परिचालन प्रारम्भ हुआ है जिसकी भारत के लोग कभी कल्पना करते थे। रेलवे के इस कदम को उन्होंने स्वागत योग्य बताया ।

चैम्बर के रेलवे सब कमिटी के संयोजक श्री ए० के० पी० सिन्हा ने चैम्बर की ओर से रेलवे से संबंधित ज्ञापन समर्पित किया जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित है - वर्तमान गुड्स शेड की क्षमता का विस्तार किया जाए तथा बिजली, पानी, सुरक्षा, सड़क आदि की समुचित व्यवस्था किया जाए, पुनपुन में बनने वाले गुड्स शेड का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराया जाए, मुगलसराय से झाझा के बीच एक तीसरी एवं चौथी रेल लाइन का निर्माण किया जाए, गुड्स शेड से माल को देरी से उठाने पर लगने वाले पेनाल्टी की माफी के लिए कौन-कौन से पेपर आवश्यक है, इस संबंध में आदेश जारी किया जाए, रेलवे की आपूर्ति के लिए काटे जाने वाले एलडी का प्रमाण देना सुनिश्ति किया जाए।

यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु निम्नांकित सुझाव दिए गए - पटना-बैंगलुरू, पटना-चेन्नई तथा पटना-हैदराबाद एवं पटना-डिब्रूगढ़ सुपर फास्ट ट्रेन चलायी जानी चाहिए, पटना से कानपुर/लखनउ के बीच शताब्दी ट्रेन चलायी जानी चाहिए, पटना से नई दिल्ली के बीच एक अतिरिक्त राजधानी एक्सप्रेस चलायी जानी चाहिए, पटना से हावड़ा दुरन्तो प्रतिदिन चलाया जाना चाहिए, पटना से हावड़ा एक शताब्दी ट्रेन चलायी जाए। साथ ही पटना से हावड़ा चलने वाली जनशताब्दी को रविवार के दिन भी चलायी जानी चाहिए। साथ ही इसमें ए.सी. चेयरकार की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए, राजेन्द्र नगर रेलवे स्टेशन जाने के लिए राजेन्द्रनगर की ओर से प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था की जाए, पटना जंक्शन पर महावीर मंदिर के पास पार्किंग व्यवस्था को और व्यवस्थित किया जाए, गाड़ियों में खाने-पीने की चीजों का रेट चार्ट का बोर्ड लगाया जाए जिसमें कीमत के साथ-साथ वजन का उल्लेख हो तथा रेलवे के इमरजेंसी कोटा के तहत आरक्षण के सम्बन्ध में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अनुरोध को प्राथमिकता दी जाए।

श्री रंजन प्रकाश ठाकुर, मंडल रेल प्रबंधक ने चैम्बर के ज्ञापन के सभी बिन्दुओं पर बहुत ही सहजता से उत्तर देते हुए कहा कि पटना-हावड़ा के बीच अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित वन्दे भारत एक्सप्रेस चलेगी। पटना-हावड़ा

बैठक को सम्बोधित करते मंडल रेल प्रबन्धक, दानापुर मंडल श्री रंजन प्रकाश ठाकुर। उनकी बाँयीं ओर क्रमश: वरीय मंडल वाणिज्यिक प्रबन्धक श्री आधार राज, चैम्बर के रेलवे उप समिति के संयोजक श्री ए० के० पी० सिन्हा एवं सह संयोजक श्री सुबोध कुमार जैन। दाँयीं ओर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल।

मंडल रेल प्रबन्धक श्री रंजन प्रकाश ठाकुर को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर। साथ में महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, सीनियर डीसीएम श्री आधार राज एवं रेल उप समिति के संयोजक श्री ए० के० पी० सिन्हा।

सीनियर डीसीएम श्री आधार राज को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर महामंत्री श्री अमित मुखर्जी।

मंडल रेल प्रबन्धक श्री रंजन प्रकाश ठाकुर एवं सीनियर डीसीएम श्री आधार राज को चैम्बर का कॉफी टेबुल बुक भेंट करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल।

एक्सप्रेस में नई रैक जल्द ही लगेगी। राजेन्द्रनगर टर्मिनल स्टेशन का राजेन्द्रनगर की तरफ निकास देने को हम तैयार हैं। इसके लिए बिहार सरकार को आगे आना होगा। इसके लिए चैम्बर को भी पहल करने का अनुरोध किया।

DRM ने कहा कि दानापुर रेल मंडल के सभी हॉल्टों पर यात्री सुविधाओं में विस्तार के लिए 25 करोड़ की योजना के तहत काम कराये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत पेय जल, बैठने और लाइट आदि की व्यवस्था की जा रही है। इन कार्यों को चार माह के अन्दर पूरे कर लिए गये हैं। दानापुर मंडल इतिहास को जिन्दा बनाने का प्रयास कर रहा है। आर्यभट्ट पर आधारित दानापुर स्टेशन का निर्माण कराया गया है। हमारा प्रयास है पटना जक्शन सहित बड़े स्टेशनों पर सारी यात्री सुविधाओं सहित वातानुकूलित विश्रामालय की सुविधा उपलब्ध करायी जाये।

चैम्बर ज्ञापन में उठाये गये रेल सप्लाई में LD काटा जाता है जिसका प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता है, पर उन्होंने कहा कि इसको हमने नोट कर लिया है, विचार किया जायेगा। इमरजेंसी कोटा के तहत आरक्षण के सम्बन्ध में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अनुरोध पर प्राथमिकता देने के अनुरोध पर उन्होंने कहा कि हम यथासम्भव कोशिश करेंगे।

ज्ञापन में उठाए गये अन्य बिन्दुओं पर भी सकारात्मक कदम उठाएं जाने का DRM ने भरोसा दिलाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने आश्वस्त किया कि कुछ माह आपलोग इंतजार करें, पटना जंक्शन, दानापुर, पाटलिपुत्र एवं राजेन्द्रनगर टर्मिनल की सभी समस्याओं का समाधान हो जायेगा।

बैठक में चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी के साथ-साथ रेलवे सब कमिटी के संयोजक श्री ए० के० पी० सिन्हा एवं सह-संयोजक श्री सुबोध कुमार जैन, श्री सुनील सराफ, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री उत्पल सेन, श्री जी० पी० सिंह, श्री रामचन्द्र प्रसाद, श्री सच्चिदानन्द, श्री आशीष शंकर, श्री आलोक पोद्दार, श्री अनिल पचीसिया, श्री श्याम सुन्दर हिसारिया, श्री सावल राम ड्रोलिया के साथ-साथ बड़ी संख्या में उद्यमी एवं व्यसायी बैठक में सम्मिलित हुए एवं अपना-अपना सुझाव दिया।

बैठक में DRM एवं सीनियर DCM को कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल ने काफी टेबुल बुक भेंट किया। धन्यवाद ज्ञापन चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी ने किया।

चैम्बर प्रांगण में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के साथ बैठक

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी श्री प्रवीण मोहन सहाय को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर। साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष शंकर एवं पासपोर्ट कार्यालय के वरीय अधीक्षक श्री मनोज कुमार राय।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 10 मई 2019 को पासपोर्ट से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श हेतु उद्यमियों एवं व्यवसायियों के साथ एक बैठक क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, पटना श्री प्रवीण मोहन सहाय के साथ हुई। इस अवसर पर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के वरीय अधीक्षक श्री मनोज कुमार राय भी उपस्थित थे।

चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होने से पहले की अपेक्षा काफी सुविधा बढ़ी है और इसमें पारदर्शिता भी आयी है जिसका लाभ लोग उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने पासपोर्ट अधिकारी को बताया कि व्यवसायी अपने बिजनेस के काम से या पुत्र-पुत्री के दूसरे स्थानों पर रहने के कारण उन्हें निवास स्थान बदलने की विवशता हो जाती है अत: वैसी परिस्थिति में यदि वे अपना पासपोर्ट में निवास स्थान बदलने का आवेदन देते हैं तो उनके लिए Police verification को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। क्योंकि पासपोर्ट में उनका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो Police verification कराने का प्रावधान व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है।

चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन ने चैम्बर की ओर से पासपोर्ट से संबंधित एक स्मार-पत्र क्षेत्रिय पासपोर्ट अधिकारी को समर्पित किया जिसके प्रमुख बिन्दु थे :-

- पटना में बनने वाले विदेश भवन की अद्यतन जानकारी दी जाए।
- वैसे लोग जो कम्प्यूटर फ्रेंडली नहीं है उनके लिए पासपोर्ट कार्यालय में समुचित संख्या में ''सहायता केन्द्र'' की स्थापना की जाए।
- पासपोर्ट के आवेदनों की सत्यापन की व्यवस्था संबंधित जिला में ही हो ताकि आवेदक को पटना नहीं आना पड़े।
- पुलिस सत्यापन के लिए समय सीमा का निर्धारण हो।
- दूर-दराज के पासपोर्ट सेवा केन्द्र का बराबर मोनेटरिंग हो।
- पासपोर्ट खो जाने पर आवेदन करने पर Police verification अनिवार्य नहीं हो।
- पूर्व से बने पासपोर्ट के नवीनीकरण के समय अगर निवास स्थान बदल गया हो तो Police verification का प्रावधान नहीं होना चाहिए।
- अवांछित तत्व या दलाल लोगों को भ्रमित नहीं करे इसके लिए समय -समय पर सघन जाँच होनी चाहिए।
- जब-तक आरोप साबित नहीं हो या न्यायालय द्वारा अभियोग गठित नहीं किया गया हो तब-तक केवल इस आधार पर, कि आप पर आपराधिक मुकदमें हैं, पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि व्यवसाय के क्रम में व्यवसायियों पर झूठे मुकदमें भी दायर किये जाते हैं और न्यायालय का निर्णय आने में काफी लम्बा समय लग जाता है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी श्री प्रवीण मोहन सहाय को चैम्बर का कॉफी टेबुल बुक भेंट करते चैम्बर महामंत्री श्री अमित मुखर्जी साथ में उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं पासपोर्ट कार्यालय के वरीय अधीक्षक श्री मनोज कुमार राय।

बैठक में पासपोर्ट सम्बन्धी ज्ञापन प्रस्तुत करते उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन। उनकी बाँयीं ओर महामंत्री श्री अमित मुखर्जी तथा दाँयीं ओर क्रमश: पासपोर्ट अधिकारी श्री प्रवीण मोहन सहाय, पासपोर्ट कार्यालय के वरीय अधीक्षक श्री मनोज कुमार राय, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल।

- पूर्व की तरह अत्यधिक भीड़ से बचने के लिए वरिष्ठ नागरिक काउंटर पर ही बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जो विशेष सुविधा प्रदान की गयी थी, उसे पुन: बहाल किया जाये।
- छ: माह में कम से कम एक बार पासपोर्ट अदालत आयोजित किया जाना चाहिए जिससे कि आवेदक अपनी बातों को क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के समक्ष अपनी बातों को रख सकें।

श्री प्रवीण मोहन सहाय, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने चैम्बर द्वारा समर्पित ज्ञापन का उत्तर देते हुए कहा कि ''विदेश भवन'' गर्दनीबाग में बनाया जायेगा। राज्य सरकार की ओर 1.46 एकड़ जमीन उपलब्ध करायी जा रही है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले लोगों को पासपोर्ट बनाने में काफी सुविधा होगी। विदेश भवन बनने के बाद पासपोर्ट कार्यालय वहीं स्थानंतरित हो जायेगा।

श्री सहाय ने कहा कि पासपोर्ट बनाने की व्यवस्था 2012 से अब ऑनलाईन कर दी गयी है, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। कम पढ़े-लिखे लोगों को वसुधा केन्द्रों से मदद लेनी चाहिए। अन्य जिले के लोगों को आने वाले समय में सत्यापन के लिए पटना आने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी थानों को टैब दिया जा रहा है जिससे वे थाने पासपोर्ट कार्यालय से कनेक्ट हो जायेंगे जिससे पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया जल्द हो जायेगी।

उन्होंने बताया कि अब सामान्य पासपोर्ट के लिए आवेदकों को पटना आने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि तत्काल पासपोर्ट की जरूरत होगी, तो ही पटना आना पड़ेगा।

पासपोर्ट अधिकारी ने बताया कि दूर-दराज के लोगों को स्थानीय स्तर पर पासपोर्ट बनाने की सुविधा डाकघरों में है। आगे कहा कि सभी संसदीय क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवा केन्द्र खुलना है। अब तक 30 जगहों पर डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्र खुल चुके हैं। आठ स्थानों पर पासपोर्ट सेवा केन्द्र खुलने की प्रक्रिया में है। तीन जिलों यथा – पूर्णिया, गया और सारण डाकघर में पासपोर्ट सेवा केन्द्र पूरी तरह से ऑनलाईन कर दिये गये हैं।

चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन द्वारा पूछे गये प्रश्न पर उन्होंने कहा कि सिर्फ आपराधिक मुकदमें के आधार पर हम पासपोर्ट जारी करना बंद नहीं करते। जब तक पुलिस चार्जशीट दाय नहीं करती पासपोर्ट बनेगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि स्पेशल केस में जिनपर चार्जशीट दायर है, वे मेडिकल तथ्य पर पासपोर्ट बनवा सकते है।

पासपोर्ट अदालत के संदर्भ में उन्होंने कहा कि समय-समय पर हम अदालत लगाते ही हैं, आगे भी लगाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि लोग 12 से 1 बजे के बीच हमसे मिल सकते हैं और अपनी समस्या पर बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चैम्बर के Reference Letter पर हम 100 प्रतिशत सहायता करेंगे।

कार्यक्रम में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी एवं वरीय अधीक्षक को कॉफी टेबुल बुक भेंट किया गया।

बैठक में चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी के साथ-साथ वरीय सदस्य श्री अशीष शंकर, श्री एम० एस० भारद्वाज, श्री सावल राम ड्रोलिया, श्री सत्य प्रकाश के साथ-साथ उद्यमी एवं व्यवसायी बैठक में सम्मिलित हुए एवं अपना-अपना सुझाव दिया। धन्यवाद ज्ञापन चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी ने किया।

एयरपोर्ट डायरेक्टर श्री बी०सी०एच० नेगी के साथ चैम्बर की बैठक

बैठक को सम्बोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर क्रमश: एयरपोर्ट डायरेक्टर श्री बी०सी०एच० नेगी, उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, रेलवे उप समिति के संयोजक श्री ए० के० पी० सिन्हा एवं पूर्व महामंत्री श्री शशि मोहन।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 27 मई, 2019 को एयरपोर्ट डायरेक्टर, पटना श्री बी०सी०एच० नेगी के साथ चैम्बर सदस्यों की एक बैठक चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने अपने स्वागत सम्बोधन में कहा कि रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत छोटे हवाई अड्डों को विकसित कर बिहार के विभिन्न शहरों यथा मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, रक्सौल, समस्तीपुर और गया को उड़ान योजना से जोड़कर हवाई सेवाएं शुरू की जाये ताकि बिहार के अधिकाधिक लोग लाभ ले सकें। इसके अतिरिक्त चैम्बर अध्यक्ष ने पटना से काठमाडू, भूटान व खाड़ी देशों के लिए भी अन्तरराष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू करने की मांग की। चैम्बर अध्यक्ष ने नार्थ ईस्ट के लिए सीधी विमान सेवा, नि:शक्तों के लिए एयरपोर्ट पर विशेष सुविधा, टर्मिनल बिल्डिंग तक यात्रियों को ले आने के लिए बस सेवा, सिक्यूरिटी चेक इन एरिया में काउंटर व स्कैनर बढ़े, खानपान के सामान की मनमानी कीमतों पर रोक लगे, परिसर में हरियाली में

एयरपोर्ट डायरेक्टर श्री बी० सी० एच० नेगी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। साथ में उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी।

एयरपोर्ट डायरेक्टर श्री बी० सी० एच० नेगी को चैम्बर का कॉफी टेबुल बुक भेंट करते चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं पूर्व कोषाध्यक्ष डॉ0 रमेश गाँधी ।

वृद्धि की जाय एवं एयरपोर्ट पर सामानों के वजन नापने वाली मशीनों में गड़बड़ी की जाँच हो क्योंकि मशीनों में यात्रियों के सामानों का वास्तविक वजन से 1-2 किलोग्राम ज्यादा ही बताया जाता है। उन्होंने 1 किलोग्राम वजन अधिक होने पर थोड़ी रियायत बरतने की भी मांग की।

एयरपोर्ट डायरेक्टर श्री नेगी ने ज्ञापन में उठाए गये बिन्दुओं पर बिन्दुवार जवाब देते हुए कहा कि अभी पटना एयरपोर्ट से 44 जोड़ी फ्लाइट हर दिन आ-जा रही है, ऐसे में छोटे टर्मिनल के चलते कुछ समस्याएँ जरूर है। बड़ी समस्याओं का स्थायी निदान नया टर्मिनल बिल्डिंग और बिहटा एयरपोर्ट के बने बिना जो 2022 तक पूरा होगा, सम्भव नहीं है परन्तु निर्माण पूर्ण होने तक जो रूटीन समस्याएं हैं, वे सुलझा ली जायेगी।

श्री नेगी ने कहा कि बिहटा एयरपोर्ट के विस्तार की योजना पर काम जारी है। राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण से जुड़ा संशोधित प्रस्ताव मांगा था जिसे एएआई के द्वारा राज्य सरकार को भेज दिया गया है। नए सिरे से विस्तार के बाद बिहटा एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू होंगे। जून तक दरभंगा से भी उड़ान शुरू होने की सम्भावना है। इस पर एयरपोर्ट ऑथोरिटी लगातार मॉनीटरिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि खानपान सेवाओं से जुड़ा एक नया कॉन्ट्रेक्ट जल्द ही किया जायेगा।

चैम्बर द्वारा सामानों के वजन से जुड़ी मशीनों में गड़बड़ी की बात पर निदेशक ने कहा इस पर तुरन्त एक्शन लिया जायेगा और मशीनों की जाँच प्रतिमाह कर इस शंका को दूर किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सामानों के एक किलोग्राम अधिक वजन होने पर रियायत बरतने की मांग को विमानन कम्पनियों के विचारार्थ रखेंगे।

एयरपोर्ट पर सुरक्षा जाँच में लगने वाली लम्बी कतार की समस्या पर श्री नेगी ने कहा कि 15 दिनों के भीतर सुरक्षा जाँच के दौरान लगने वाली लाईन से निजात मिलेगी। मौजूदा एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश के लिए एक और रास्ता बनाने के प्रश्न पर निदेशक ने कहा कि अभी प्रवेश के दौरान एक गेट पर दो पंक्तियाँ लगती है। एक अन्य गेट बनकर तैयार है जिससे प्रवेश की पंक्तियाँ छोटी होगी।

निदेशक ने कहा कि एयरपोर्ट परिसर में होने वाली समस्याओं से 6-8 माह में काफी हद तक निजात मिल जायेगी। इसके लिए पहले हुए कांन्ट्रेक्ट में एक और योजना को शामिल कर लिया गया है जिसकी मंजूरी भी मिल गयी है। इसके लिए 15.16 करोड़ रूपये खर्च होने हैं।

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की मांग पर श्री नेगी ने कहा कि पटना एयरपोर्ट का रनवे बड़े जहाजों के लैंडिंग के अनुकूल नहीं है परन्तु उसके लिए कई तरह के प्रस्तावों की मंजूरी की जरूरत होगी। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अगर चैम्बर के पदाधिकारी पटना से विभिन्न शहरों के लिए उड़ान को लेकर यात्रियों की प्रतिदिन की आवाजाही के आंकड़ों के साथ प्रपोजल रखें तो वे इसे विमानन कम्पनियों के साथ साझा जरूर करेंगे। गुवाहाटी, पूणे व भुवनेश्वर के लिए उड़ाने इसलिए बन्द हो गयी क्योंकि विमानों को उतनी संख्या में यात्री नहीं मिल रहे थे। उन्हें इन रूटों पर घाटा हो रहा था। पटना से अमृतसर वाया भुवनेश्वर उड़ान की मांग पर श्री नेगी ने कहा कि विमानन कम्पनियों से इस सम्बन्ध में बात करेंगे।

श्री नेगी ने बताया कि एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए कैटेगरी-1 सिस्टम शुरू किया जा रहा है। अब 800 मीटर की विजिबिलिटी रहने पर भी विमानों की लैंडिंग सम्भव हो सकेगी। फलस्वरूप आगामी ठंढ के मौसम में यात्रियों को परेशानी नहीं होगी। उन्होंने चैम्बर को आश्वासन दिया कि दिव्यागों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए शीघ्र ही बैठने की अलग से व्यवस्था होगी। एयरपोर्ट परिसर में खाने-पीने के लिए शीघ्र ही रेस्तरां की शुरूआत होगी।

चैम्बर द्वारा फ्यूल पर 29 प्रतिशत वैट लिये जाने को अन्य राज्यों की तरह 5 प्रतिशत वैट करने के लिए राज्य सरकार से विचार हेतु अनुरोध किये जाने की बात बैठक में कही गयी। इस अवसर पर कई सदस्यों ने सवाल भी किये एवं सुझाव भी दिये जिसका उत्तर एयरपोर्ट निदेशक ने दिया।

इस बैठक में श्री नेगी को श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल ने चैम्बर का कॉफी टेबुल बुक भेंट किया।

कार्यक्रम में उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, श्री सच्चिदानन्द, डॉ० रमेश गाँधी, श्री शशि मोहन, श्री ए० के० पी० सिन्हा, श्री सावल राम ड्रोलिया, श्री सुबोध कुमार जैन, श्री अनिल पचीसिया, श्री उत्पल सेन, पाटलीपुत्र सराफा संघ के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार, कई संगठनों के प्रतिनिधिगण सहित चैम्बर सदस्य एवं प्रेस बन्धु काफी संख्या में उपस्थित थे।

श्री अमित मुखर्जी, महामंत्री के धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक सम्पन्न हुई।

लक्ष्य से 11 फीसदी कम कर संग्रह

• शुद्ध कर राजस्व 13.19 लाख करोड़ रुपये रहा, जो लक्ष्य से है 1.6 लाख करोड़ रुपये कम • जीएसटी, आयकर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रह में कमी से वास्तविक संग्रह रहा कम • राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विनिवेश ज्यादा लाभांश पर सरकार कर रही भरोसा

वित्त वर्ष 2018-19 में केन्द्र सरकार कर राजस्व संग्रह का अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। वस्तु एवं सेवा कर, व्यक्तिगत आयकर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रह उम्मीद से कम रहने के कारण वास्तविक संग्रह कुल लक्ष्य से 11 फीसदी कम रहा। हालांकि सीमा शुल्क संग्रह का लक्ष्य पूरी तरह हासिल कर लिया गया, जबकि इस लक्ष्य में 15 फीसदी इजाफा भी किया गया था। पिछले वित्त वर्ष में कई वस्तुओं के आयात शुल्क में इजाफा किए जाने से सीमा शुल्क संग्रह बढ़ा है। इसी तरह कॉरपोरेट कर का लक्ष्य भी पूरा हो गया, जबकि उसमें संशोधन कर 50,000 करोड़ रुपये की बढोतरी की गई थी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में 31 मार्च तक शुद्ध कर राजस्व 13.19 लाख करोड़ रुपये रहा, जो लक्ष्य से 1.6 लाख

करोड़ रुपये कम है। 2017-18 में संशोधित लक्ष्य का 98 फीसदी कर संग्रह हुआ था। वित्त वर्ष 2019 में शुद्ध राजस्व संग्रह 6 फीसदी बढ़ा, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष में इसमें 13 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी। कर संग्रह कम रहने से राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करना कठिन होगा। सरकार ने वित्त वर्ष 2019 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.4 फीसदी पर समेटने का लक्ष्य रखा है। हालांकि इस साल फरवरी में ही यह लक्ष्य से 34.2 फीसदी अधिक हो गया था, लेकिन सरकार का दावा है कि वह राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करेगी। इसका मतलब है कि सरकार विनिवेश और पीएसयू से ज्यादा लाभांश पर भरोसा कर रही है।

वित्त वर्ष के दौरान कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 11.38 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि लक्ष्य 12 लाख करोड़ रुपये का था। व्यक्तिगत आयकर संग्रह का लक्ष्य 10 फीसदी कम होकर 4.6 लाख करोड़ रुपये रहा। कर अधिकारियों ने संकेत दिया था कि व्यक्तिगत कर संग्रह का लक्ष्य उचित नहीं है और इसे कम करने की मांग भी की गई थी। कॉरपोरेट कर संग्रह का लक्ष्य 6.7 लाख करोड़ रुपये था और वास्तविक वसूली 6.6 लाख करोड़ रुपये रही। वित्त वर्ष 2018 में 9.8 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अप्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वास्तविक वसूली 9.95 लाख करोड़ रुपये रही।

केन्द्रीय जीएसटी संग्रह का संशोधित लक्ष्य 5 लाख करोड़ रुपये से 9 फीसदी कम होकर 4.5 लाख करोड़ रुपये रहा। सीमा शुल्क का संशोधित लक्ष्य 1.3 लाख करोड़ रुपये था और करीब 100 फीसदी शुल्क वसूल कर लिया गया।

कुल मिलाकर अप्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2019 के 9.4 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 10 फीसदी कम रहा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रह भी लक्ष्य के 89 फीसदी पर ही ठकर गया। **(साभार : बिजनेस स्टैंडर्ड, 3.5.2019)**

नई सरकार के लिए वाणिज्य मंत्रालय की सौ दिन की योजना तैयार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने नई सरकार के लिए 100 दिन का एक कार्यक्रम तैयार किया है। इसमें निर्यात बढ़ाने तथा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के कदम भी शामिल हैं। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।

नई सरकार के इस महीने के अंत तक कार्यभार संभाल लेने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा कि ये प्रस्ताव नई सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

मंत्रालय ने एक सचिव की अगुवाई में अलग लॉजिस्टिक्स विभाग बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह क्षेत्र निर्यात और आयात समेत पूरी अर्थव्यवस्था के लिए आधार है। इसी कारण लॉजिस्टिक्स की वृद्धि को लेकर यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। अभी लॉजिस्टिक्स वाणिज्य विभाग का एक खंड है जिसकी अगुवाई वाणिज्यि विभाग के विशेष सचिव करते हैं।

मंत्रालय ने विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अनुकूल विभिन्न वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने वाली नई योजना का भी प्रस्ताव दिया है। यह नई योजना मौजूदा एमईआईएस की जगह लेगी।

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग ने इसी तरह स्टार्टअप की वृद्धि को बढ़ावा देने तथा घरेलू एवं विदेशी दोनों निवेश आकर्षित करने के लिए कारोबार सुगमता को आगे बढाने के लिये दृष्टिपत्र तैयार किया है।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 7.5.2019)

दो करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले करें जीएसटी ऑडिट फाइल

जीएसटी नेटवर्क ने अपने पोर्टल पर जारी किया है संबंधित फॉर्म

अगर पंजीकृत कारोबारी का वार्षिक टर्नओवर एक वित्तीय वर्ष में दो करोड़ रुपये से अधिक है तो उनको अपने खातों का हर साल चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना आवश्यक है। दो करोड़ से अधिक का सालाना टर्नओवर करने वाले कारोबारी वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी ऑडिट रिपोर्टस की फाइलिंग शुरू कर सकते हैं। जीएसटी नेटवर्क ने अपने पोर्टल पर इसके फॉर्म जारी कर दिये हैं। जीएसटीएन ने जीएसटीआर-9 सी को उपलब्ध करा दिया है।

30 जून तक करें दाखिल : वरीय चार्टर्ड एकाउंटेंट आशीष कुमार अग्रवाल के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर -9 सी दाखिल करने की नियत तारीख एक आदेश के माध्यम से 30 जून 2019 तक बढ़ा दी गयी है। जीएसटी ऑडिट जमा नहीं करने पर कोई विशेष प्रावधान नहीं है। इसलिए यह 25 हजार रुपये के सामान्य दंड के अधीन है। जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर - 9 सी को उसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी प्रमाणित करवाया जा सकता है, जिसने जीएसटी ऑडिट किया था या यह किसी अन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा भी प्रमाणित किया जा सकता है जिन्होंने उस विशेष जीएसटीआइएन के लिए जीएसटी ऑडिट नहीं किया था।

जीएसटी ऑडिटर को यह करना है प्रमाणित : • सभी अपेक्षित या रिकॉर्ड बनाये हुए हैं या नहीं • वित्तीय विवरण व्यवसाय के प्रमुख स्थान पर रखे गये खातों या करदाता के व्यवसाय के अतिरिक्त स्थान के अनुसार तैयार किये जाते हैं या नहीं • जीएसटीआर-9सी में सूचना की सटीकता

कारोबारियों को फायदा : • नियमित टैक्स जमा करने वाले कारोबारियों को लोन का लाभ मिलेगा • खाता-बही की अच्छी तरह से जांच हो जायेगी • कारोबारी इनपुट और आउटपुट टैक्स का मिलान कर सकता है • जिनका डाटा बहुत बड़ा है उनको ऑफलाइन की सुविधा दी गयी है।

(साभार : प्रभात खबर, 29.4.2019)

जीएसटी चोरी रोकने को सरकार ला सकती है ई-इनवॉइस की व्यवस्था

हर इनवॉइस पर खास पहचान नंबर मिलेगा, इससे रिटर्न में दिए इनवॉइस और टैक्स का मिलान संभव होगा

जीएसटी अधिकारी ऐसा सिस्टम बनाने पर काम कर रहे हैं जिसमें एक निश्चित सीमा से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों को सरकारी या जीएसटी पोर्टल पर हर बिक्री के लिए ई-इनवॉइस निकालना होगा। शुरूआत में एक निश्चित सीमा से अधिक के टर्नओवर करने वालों को हर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस (ई-इनवॉइस) पर एक खास नंबर मिलेगा। इसका सेल्स रिटर्न में दर्शाए इनवॉइस और चुकाए टैक्स से मिलान किया जा सकेगा।

एक आधिकारिक सूत्र ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया, आगे चलकर कंपनियों को अपनी पूरी बिक्री का पूरा इलेक्ट्रॉनिक टैक्स इनवॉइस (ई-इनवॉइस) निकालना अनिवार्य होगा। एक निश्चित सीमा से अधिक के कारोबार वाले कारोबारियों/कंपनियों को एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा। यह सॉफ्टवेयर जीएसटी या सरकारी पोर्टल से जुड़ा होगा। इससे ई-इनवॉइस निकाला जा सकेगा। अधिकारी ने कहा, इस व्यवस्था के अमल में लाने से टैक्स चोरी की गुंजाइश काफी कम हो सकेगी। देश में जीएसटी व्यवस्था लागू होने के करीब दो साल बाद सरकार टैक्स-चोरी रोकने के उपायों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ताकि जीएसटी के नियमों के पालन में इजाफा और सरकार की जीएसटी से होने वाली आमदनी बढ़ सके। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स के मेंबर (इन्वेस्टिगेशन) जॉन जोसेफ के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष 2017-18 में फरवरी तक अधिकारियों ने 20,000 करोड़ रुपए की जीएसटी की चोरी पकड़ी थी। इसमें से करीब 10,000 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है।

ई-इनवॉइस निकालने की सीमा टर्नओवर के आधार पर तय होगी : अधिकारी ने बताया, ई-इनवॉइस निकालने की अनिवार्यता रजिस्टर्ड कारोबारी के टर्नओवर या इनवॉइस के मूल्य के आधार पर तय की जा सकती है। वैसे विचार यह है कि यह टर्नओवर की सीमा पर आधारित हो। ताकि टैक्स बचाने के लिए कंपनियाँ बिल को अलग-अलग बांट कर न दिखाएं। मसलन यदि ई-इनवॉइस निकालने के लिए इसका न्यूनतम मूल्य 1,000 रुपए तय किया जाता है तो इस बात की संभावना रहेगी कि कंपनियाँ इसे कई बिल में बांट दें ताकि ई-इनवायस आधारित सीमा से बचा जा सके।

ई-इनवॉइस निकालने का तरीका ई-वे बिल जेनरेट करने जैसा होगा : अधिकारी ने बताया ई-इनवॉइस निकालने या जनरेट करने का तरीका ठीक उसी तरह का होगा जिस तरह जीएसटी पोर्टल पर ई-वे बिल डॉट निक डॉट इन पोर्टल पर ई-वे बिल निकाला जाता है या जीएसटीएन पोर्टल पर गुड्स एंड सर्सिसेज टैक्स के भुगतान में इस्तमाल किया जाता है।

ई-वे बिल की जगह लागू होगा प्रस्तावित ई-इनवॉइस सिस्टम : ई-इनवॉइस का प्रस्तावित सिस्टम आने वाले समय में ई-वे बिल सिस्टम की जगह ले लेगा क्योंकि ई-इनवॉइस सरकार के केन्द्रीकृत पोर्टल से ही निकलेंगे। फिलहाल 50,000 रुपए से अधिक मूल्य के सामन की आवाजाही के लिए ई-वे बिल निकालने की जरूरत होती है।

सेल्स रिटर्न से मिलान करना आसान, रिटर्न भरने में सहूलियत होगी : ई-टैक्स इनवॉइस बनाने की व्यवस्था शुरू होने पर कंपनियों के लिए रिटर्न भरने के बोझ में काफी कमी आएगी। क्योंकि रिटर्न फॉर्म में इनवॉइस से संबंधित डेटा अपने-आप दिखाई देगा। इसका स्वत: मिलान संभव होगा। इससे कारोबारियों और जीएसटी अधिकारियों दोनों को सहूलियत होगी।

(साभार : दैनिक भास्कर, 29.4.2019)

जीएसटी और आइटी रिटर्न का होगा मिलान

कारोबारी अपनी बिक्री या सेवाओं के अनुपात में टैक्स जमा कर रहे हैं या नहीं, इसकी जानकारी जीएसटी के अधिकारियों को आसानी से ही जाएगी।

आयकर विभाग अब कारोबारियों के आंकड़ों को जीएसटी के साथ साझा करने पर सहमत हो गया है। इस संबंध में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आदेश जारी कर दिया है। अब आयकर विभाग जीएसटी से कुछ आंकड़े साझा करने को तैयार है। इसमें आयकर रिटर्न, कुल कारोबार, सकल आय, कारोबारी अनुपात आदि शामिल हैं। इन जानकारियों का खुद आदान-प्रदान हो जाएगा।

(साभार : दैनिक जागरण, 5.5.2019)

कारोबार में सितम्बर से ई-चालान अनिवार्य

जीएसटी की चोरी रोकने के लिए एक निर्धारित सीमा से ऊपर का कारोबार करने वाली कारोबारी इकाइयों के बीच खरीद-फरोख्त के सभी चालान एक केन्द्रीयकृत सरकारी पोर्टल से निकालने का नियम सितम्बर से अनिवार्य किया जाएगा।

इस तरह के ई-चालान की व्यवस्था लागू करने के संबंध में केन्द्र, राज्यों और जीएसटी नेटवर्क के कुल 13 अधिकारियों की एक समिति बनायी जा चुकी है। केन्द्रीय राजस्व सचिव इसको लागू करने के काम की निगरानी कर रहे हैं। कारोबारियों से उपभोक्ताओं को जारी चालान में भी यह अनिवार्य होगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 6.5.2019)

नौ वर्षों के निचले स्तर पर आ सकती हैं ब्याज दरें

पिछले वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई के नियंत्रित रहने पर घटी ब्याज दरें, नई सरकार पर महँगाई काबू में रखने की चुनौती

पिछले वित्त वर्ष में महंगाई नियंत्रित रहने पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने रेपो रेट घटाकर सस्ते कर्ज की सौगात दी थी। हालांकि बीते कुछ महीनों में महंगाई ने फिर सिर उठाना शुरू कर दिया है। ऐसे में नई सरकार के सामने महँगाई दर को काबू में रखने की बड़ी चुनौती रहेगी। अगर सरकार ऐसा कर पाती है, तो अगले महीने ब्याज दरें नौ वर्षों के निचले स्तर पर आ सकती हैं।

आरबीआइ की मुख्य उधारी दर रेपो रेट फिलहाल छह फीसद पर है। आरबीआइ जून में मौद्रिक नीति की समीक्षा करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि महँगाई नियंत्रित रहने पर आरबीआइ ब्याज दरें नीचे लाने का रवैया जारी रख सकता है। ऐसी स्थिति में अगर रेपो दर में अगर 0.25 फीसद अंक की कटौती भी होती है तो रेपो दर घटकर 5.75 फीसद पर आ जाएगी जो वर्ष 2010 के बाद न्यूनतम होगी। **(साभार : दैनिक जागरण, 4.5.2019)**

होल्डिंग कंपनी पर बैंक चाहें राहत

सितम्बर तक अंतिम रूप दे सकता है आरबीआई, बैंक चाहते हैं दो साल की मोहलत

मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं : • होल्डिंग कंपनी का विनियमन और निगरानी कौन करेगा • होल्डिंग कंपनी का स्वामित्व • होल्डिंग कंपनी के अंतर्गत किस तरह की गतिविधियों की होगी अनुमति • होल्डिंग कंपनी, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के बीच क्रॉस होल्डिंग की सीमा • होल्डिंग कंपनी के लिए पूंजी पर्याप्तता के नियम

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने होल्डिंग कंपनी मॉडल पर बैंकों के साथ औपचारिक चर्चा शुरू कर दी है। आरबीआई के इस कदम से बैंकिंग समूहों में स्पष्ट इक्विटी होल्डिंग ढांचे को बढ़ावा मिलेगा।

पहले चरण की बातचीत में बैंकों ने होल्डिंग कंपनी के ढांचे को अपनाने की इच्छा जताई है लेकिन इसके अनुपालन के लिए दो साल की मोहलत दिए जाने की मांग की है।

एक सूत्र ने कहा कि केन्द्रीय बैंक सितम्बर 2019 तक होल्डिंग कंपनी के मॉडल पर दिशानिर्देश जारी कर सकता है और उम्मीद है कि इसका मसौदा पहले ही सार्वजनिक किया जा सकता है।

होल्डिंग कंपनी के ढांचे के साथ ही आरबीआई होल्डिंग कंपनी की सूचीबद्धता पर दिशानिर्देश लेकर आ सकता है। माना जा रहा है कि आरबीआई होल्डिंग कंपनी के अंतर्गत मुख्य बैंकिंग सहायक इकाई का ढांचा भी ला सकता है, जिसमें विशुद्ध रूप से समूह की बैंकिंग से संबंधित इकाइयां होंगी। इस कंपनी को परिचालन उद्देश्य से आरबीआई को रिपोर्ट करना होगा, जिससे नियामकीय और निगरानी तंत्र के दोहराव को भी कम करने में मदद मिलेगी।

नई व्यवस्था के तहत होल्डिंग कंपनी में आने वाली बैंकों की सहायक इकाइयों को अपनी शेयरधारिता का भी खुलासा करना होगा। होल्डिंग कंपनी अपनी सहायक इकाइयों के जुड़ने की शर्तें भी निर्धारित करेगी। इससे बैंक को सहायक इकाइयों के नुकसान से होने वाले सीधे प्रभाव से बचने में भी सहूलियत होगी। बैंक बोर्डों को भी सहायक इकाइयों का प्रबंधन करने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। **(विस्तृत : बिजनेस स्टैंडर्ड, 6.5.2019)**

SCAN ON GST EVASION BY RESTAURANTS

GST officers are working out a mechanism to deal with the non-payment of taxes by a large number of small restaurants and B2C entities which are collecting taxes from customers but not depositing the levy with the government.

Several consumers have filed complaints through a mobile app — Iris Peridot — that the GST was charged by small restaurants but the eatery neither deposited taxes with the government nor filed GST returns.

Many customers have downloaded the Iris Peridot app, developed by a GST Suvidha Provider, allowing them to scan the unique GST Identification Number (GSTIN) of a business and find out whether the returns have been filed by the entity.

(Details : The Telegraph, Calcutta, 30.4.2019)

स्टार्टअप्स के कोष जुटाने से जुड़े आयकर कानून में ढील का प्रस्ताव

स्टार्टअप्स के लिए धन जुटाने की प्रक्रिया को सुगम करने के लिए उद्योग एवं आंतरिक संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने आवासीय संपत्तियों की बिक्री और नुकसान को आगे ले जाने से संबंधित आयकर नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया है।

यह सुझाव स्टार्टअप इंडिया विजन 2024' का हिस्सा है। डीपीआईआईटी ने उदीयमान उद्यमियों के लिए वृद्धि को प्रोत्साहन तथा वित्त हासिल करने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए इसे तैयार किया है। स्टार्टअप्स के लिए नियामकीय नियमों को उदार करते हुए डीपीआईआईटी ने आयकर कानून की धारा 54 जीबी (कुछ मामलों में आवासीय संपत्ति की बिक्री पर हुए पूंजीगत लाभ को स्थानांतरित करने के लिए कर नहीं) तथा धारा 79 में संशोधनों का प्रस्ताव किया है।

डीपीआईआईटी ने सुझाव दिया है कि यदि आवासीय संपत्ति की बिक्री पर पूंजीगत लाभ का इस्तेमाल स्टार्टअप के वित्तपोषण के लिए किया जाता तो उस पर कर नहीं लिया जाना चाहिए। एक सूत्र ने कहा कि उदीयमान उद्यमी कई बार अपनी कारोबारी गतिविधियों के लिए आवासीय संपत्ति की बिक्री करते हैं। इसी तरह धारा 79 के संदर्भ में सुझाव दिया गया है कि घाटे को आगे ले जाने के लिए शेयरधारिता की अनिवार्यता से छूट दी जाए। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 6.5.2019)**

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, क्रेडाई के साथ 13,000 निर्माण कर्मियों का करेगी कौशल विकास

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस देशभर में निर्माण स्थलों पर काम करने वाले 13, 000 कर्मियों को प्रशिक्षित करेगी। इसके लिए कंपनी ने रीयल्टी क्षेत्र की कंपनियों के समूह क्रेडाई के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने एक विज्ञप्ति में बताया इसके तहत पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और क्रेडाई 15 राज्यों के चुनिंदा शहरों में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएंगे। इसके लिए आठ कौशल विकास संस्थानों के साथ साझेदारी की गयी है। कंपनी ने बताया कि यह कार्यक्रम दिल्ली, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, और बंगाल में चलाया जाएगा। **(साभार : प्रभात खबर, 28.4.2019)**

BUILDING HEAVYWEIGHT BANKS

Bank mergers will bring not just scale and efficiencies but also help build global-scale entities

The recent successful merger of two public sector banks (PSBs), Dena Bank and Vijaya Bank, with Bank of Baroda has paved the way for the future road map of PSB restructuring. It has created the right synergy, achieved scale and resulted in better shareholder value creation. It would be wrong to think that this move of GoI was in response to the difficult conditions that many PSBs find themselves in. Nor was it meant to provide protection to a 'weak' bank like Dena Bank (as it is perceived to be). This amalgamation is the result of a deliberated choice in the present world economy.

It is incongruous for the world's sixth-largest economy by GDP in 2018 to not have a bank ranked in the world's top 25 by size; China has six. The UK, whom we will overtake to become the fifth-largest economy this year, has three. Canada, the 10th-largest economy has two, and Spain ranked 13th has one. In the world's top-ranked 100 banks by assets, India has one: SBI, which is ranked 60th. Clearly, size matters.

To be globally competitive, we have to build banks that are bigger and stronger than what we have at this time. The faster we do it, the better it would be. The amalgamation of the three banks is the first step to achieving that goal.

Amalgamations bring value and efficiencies. Look at other jurisdictions; it has been happening for decades. Bank of America in the 1990s was the result of many banking institutions having merged; after it acquired Merrill Lynch in 2008, Bank of America Merrill Lynch is among the top 10 banks in the world, with $2.28 trillion in assets in 2018 and a very healthy capital base.

We are also seeing this happen in the Indian context; the State Bank of India's (SBI) merger with its own five associate banks, and the merger of Bharatiya Mahila Bank with SBI was perhaps the first major case of merging multiple entities into one to create both scale and efficiencies. HDFC Bank, the largest private sector bank in India today, grew through a series of acquisitions. The amalgamation of ING Vysya with Kotak Mahindra Bank was to achieve significant gains.

India needs a strong banking system, supported by six or seven globally competitive large banks as the pillars, if we have to become a $5 trillion economy by 2025. (Writer : Hasmukh Adhia, Non-Executive Chairman, Bank of Baroda) **(Details The Economic Time, 7.5.2019)**

एसबीआइ, पीएनबी, रेलवे और हवाई यात्रा से जुड़े नियम बदलेंगे

एक मई से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं। जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे। एसबीआइ, पीएनबी, रेलवे और एयर इंडिया से जुड़े नियम बदल रहे हैं। आइये डालते हैं एक नजरः-

एक मई से बदल रहे हैं चार नियम आपकी जेब पर डालेंगे असर

एसबीआइ में जमा बचत पर ब्याज घटेगा, नया लोन सस्ता : देश के सबसे बड़े बैं भारतीय स्टेट बैंक एक लाख से ज्यादा के सेविंग्स डिपॉजिट पर ब्याज दर घटाने जा रही है। आरबीआई द्वारा अप्रैल में रेपो रेट घटाने के कारण यह ब्याज दर घटेगी। एसबीआइ ने एक्सटर्नल बेंचमार्किंग नियम को अपनाते हुए सेविंग्स डिपॉजिट और अल्पकालिक कर्ज दरों को रेपो रेट से जोड़ दिया है। इसके अलावा नये कर्जदारों को सस्ता कर्ज मिलेगा।

पीएनबी अपना डिजिटल इ-वॉलेट किट्टी बंद करेगा : पंजाब नेशनल बैंक अपनी पेमेंट वॉलेट सर्विस पीएनबी किट्टी को 30 अप्रैल के बाद से बंद करने जा रही है। ट्वीट से यह जानकारी दी। क्रेडिट, डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग की जगह पीएनबी किट्टी से पेमेंट हो सकती है। इसमें नेटबैंकिंग का पासवर्ड या कार्ड की जानकारी शेयर नहीं करनी पड़ती यह सर्विस दिसम्बर 2016 में शुरू हुई थी।

चार्ट से चार घंटे पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे : रेलवे के नये नियम के मुताबिक एक मई से यात्री चार्ट बनने से चार घंटे पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदलवा सकते हैं। पहले यात्री बोर्डिंग स्टेशन को यात्रा की तारीख से 24 घंटे पहले ही बदल सकते थे। लेकिन अगर यात्री बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव के बाद भी यात्रा नहीं करते हैं, टिकट कैंसल कराते हैं, तो उन्हें रिफंड नहीं मिलेगा।

एयर इंडिया में टिकट कैंसिलेशन चार्ज नहीं : एक मई से एयर इंडिया टिकट कैंसिल कराने पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेगी। टिकट बुक करने के 24 घंटे में उसे कैसिल करने या बदलाव करने पर एक मई से कैंसिलेशन चार्ज को खत्म कर दिया है। एयर इंडिया के सीएमडी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने 24 अप्रैल को जारी एक सर्कुलर में यह जानकारी दी।

(साभार : प्रभात खबर, 30.4.2019)

टूरिज्म बढ़ाने को होटलों पर जीएसटी घटाने की मांग

इकोनॉमी और रोजगार सृजन के लिए पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार को होटलों के लिए अधिकतम 18 प्रतिशत जीएसटी एवं निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने जैसे कदम उठाने चाहिए। फिक्की एवं यस बैंक की 'इंडिया इनबाउंड टूरिज्म : अनलॉकिंग द अपॉर्च्यूनिटीज' रिपोर्ट में खुलासा हुआ है।

• 6.7% की दर से बढ़ रहा है भारतीय पर्यटन क्षेत्र • 35 लाख करोड़ रुपये का हो जायेगा भारत का टूरिज्म सेक्टर बढ़ कर

टूरिज्म बढ़ाने के लिए यह जरूरी : • राष्ट्रीय प्राधिकरण एवं परामर्श परिषद • टूरिज्म कंपटीशन इंडेक्स बने • राज्य स्तर पर बेहतर समन्वय • भूमि बैंक भंडार की स्थापना

अधिकतम 18 प्रतिशत जीएसटी की मांग : 18% जीएसटी दर है रुपया 2,500-7,500 वन नाइट किराये वाले होटलों पर • 28% जीएसटी दर है रुपया 7,500 से अधिक किराये वाले होटलों पर

न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस से भी अधिक भारत में होटलों पर टैक्स : इस तरह प्रीमियम / लग्जरी होटलों पर भारत में सबसे अधिक कर लगता है। यह न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस से भी ज्यादा है। होटलों के लिए जीएसटी की अधिकतम सीमा को 18 प्रतिशत की जानी चाहिए। **(प्रभात खबर, 30.4.2019)**

एक मई से आधार के बिना मिलेगा सिम

एलपीजी की नई कीमतें होगी लागू : एक मई से आपकी रसोई में भी बदलाव होने जा रहा है। रसोई गैस की कीमतों में छह रुपये तक की वृद्धि दर्ज की गई है। बता दें कि एक अप्रैल को रेसोई गैस के दाम में इजाफा किया गया था।

अब आसान हो जाएगा सिम का मिलना : अभी तक जब भी आप मोबाइल सिम खरीदने के लिए जाते थे तो आपको आधार कार्ड के बिना सिम नहीं मिलता था। लेकिन, एक मई से आपको आधार कार्ड के बिना सिम मिलेगा। दरअसल, टेलीकॉम कंपनियों ने केवाईसी सिस्टम तैयार किया है। इस सिस्टम के जरिए उस ग्राहक का वेरिफिकेशन हो जाएगा और महज 1से 2 घंटें में नंबर चालू कर दिया जाएगा। **(साभार : दैनिक जागरण, 1.5.2019)**

खादी वस्त्रों की ऑनलाइन बिक्री से सुधरेंगे बिहारी कारीगरों के हालात

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड खादी के डिजाइनर शर्ट की ऑनलाइन बिक्री के लिए तैयार है। ई कामर्स कंपनी अमेजन के जरिए खादी के शर्ट बेचे जाएँगे। पाँच हजार शर्ट बिक्री के लिए तैयार हैं। शर्ट की क्वालिटी ऐसी रखी जा

रही है कि विश्व भर में बिहार की कारीगरी का तारीफ हो, राज्य का नाम में रोशन हो। बोर्ड दूसरे चरण में पाँच हजार महिलाओं के लिए भी डिजाइनर खादी के कपड़े तैयार कराएगा। अभी बिहार में उत्पादित खादी के 39 प्रोडक्ट ऑन लाइन हैं। खादी के शर्ट 800 से 1200 रुपये में मिलेंगे।

सर्वोत्कृष्ट हैं बिहार के खादी वस्त्र : बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सीईओ बीएन प्रसाद कहते हैं कि इस मुकाम तक पहुँचने के लिए लंबा सफर तय किया गया है। बिहार के खादी का जवाब नहीं है। सर्वोत्कृष्ट है यहाँ की खादी। विश्व के किसी भी देश का व्यक्ति ऑन लाइन बिहार के खादी का वस्त्र खरीद कर सकता है।

अमेजन इंडिया के साथ इस साझेदारी से कारीगरों को डिजिटल यात्रा में मदद मिल रही है। भरोसा है कि खादी का शर्ट अपनी पहचान बना लेगा। लाखों परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 11.5.2019)**

28 जिलों में दो साल में मिलने लगेगी सीएनजी-पीएनजी

• मार्च 2020 तक पटना में 11 स्टेशन चालू हो जाएंगे • भोजपुर, रोहतास व कैमूर में स्टेशन बनाये जाएंगे

इन रूटों पर सीएनजी स्टेशन प्रस्तावित : • पटना में नौबतपुर से फुलवारीशरीफ होते जगदेव पथ में • जगदेव पथ से बेली रोड (सगुना मोड़ से गाँधी मैदान वाया डाकबंगला) • सगुना मोड़ से दानापुर रेलवे स्टेशन • गाँधी मैदान से अशोक राजपथ होते हुए बाइपास व कंकड़बाग तक • सगुना मोड़ से गाँधी मैदान वाया कैंट, दीघा रोड • बाइपास से फतुहा व मोकामा तक

बिहार के 28 जिलों में अगले दो साल में सीएनजी-पीएनजी मिलने लगेगी। अभी सिर्फ पटना में दो पेट्रोल पपों पर यह मिल रही है। पटना से झारखंड जाने वालों के लिए रास्ते के सभी जिलों में सीएनजी स्टेशन होंगे। राँची व जमशेदपुर में भी तैयारी शुरू कर दी गई है। पटना से बनारस जाने के रास्ते में भोजपुर, रोहतास व कैमूर में स्टेशन बनाये जाएँगे। बनारस में पिछले वर्ष से ही सीएनजी पर गाड़ियाँ चल रही हैं। इलाहाबाद, कानपुर व लखनऊ में भी सीएनजी स्टेशन खुल चुके हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नालंदा में एक साल में सीएनजी और पीएनजी मिलने लगेगी। वहीं जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, अरवल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, नवादा, शेखपुरा, जमुई में दो साल में सीएनजी-पीएनजी स्टेशन चालू करने का लक्ष्य है।

बेगूसराय में दिसम्बर से मिलेगी : थिंक गैस के मैनेजर विजय तिवारी ने बताया कि कंपनी ने एनएच समेत स्थानीय निकाय को आवेदन दे दिया है। उम्मीद है कि दिसम्बर से दो स्टेशन चालू हो जाएंगे। एक कॉलोनी में पीएनजी भी मिलने लगेगी यहाँ 25 स्टेशन बनने हैं।

26 जिलों में काम आईओसीएल को : 28 जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इनमें 26 जिलों में काम आईओसीएल को मिला है। हालांकि गया व नालंदा जिले में आईओसीएल के साथ अणानी गैस प्राइवेट लि. को भी काम मिला है। वहीं दो जिलों में गेल व थिंक गैस को काम मिला है।

आईओसीएल की मुख्य प्रबंधक वीणा कुमारी ने बताया कि आने वाले समय में सभी रूटों पर सीएनजी के स्टेशन होंगे।

पटना में दो पंपों पर काम शुरू : पटना में सीजीडी नेटवर्क का काम करने वाली कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड के डीजीएम रजनीश कुमार ने बताया कि पटना में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के दो पंपों पर सीएनजी स्टेशन बनाने का काम शुरू हो गया है। कुम्हारार के सोनाली पंप पर और सगुना मोड़ के नवनीत पेट्रोल पंप पर सीएनजी स्टेशन बनाने के सिविल वर्क की शुरूआत हो चुकी है। जल्द ही दीघा रोड स्थित भारत पेट्रोलियम के पम्प पर स्टेशन बनाने का काम शुरू होगा। मार्च 2020 तक राजधानी में सीएनजी के 11 स्टेशन चालू हो जाएंगे। अभी पटना में सीएनजी के दो पंप हैं। **(साभार : हिन्दुस्तान, 4.5.2019)**

बिहार में सीएनजी की तर्ज पर सीबीजी

वैकल्पिक ईंधन : गोबर और कचरे से बनेगी कंप्रेस्ड बायो गैस

पटना समेत राज्यभर में कंप्रेस्ड नैचुरल गैस (सीएनजी) की तर्ज पर गोबर, कचरा, गन्ना और सब्जियों के अवशिष्ट पदार्थों से कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) बनेगी। यह प्राकृतिक गैस के समान होगी। उद्यमी अलग-अलग क्षमता के सीबीजी प्लांट लगा सकते हैं। छोटे प्लांट की लागत करीब 50 लाख आएगी, वहीं बड़े प्लांट को बनाने में करीब 20 करोड़ रुपये तक का खर्च आएगा।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 28.4.2019)

पटना में साल के अंत तक मिलेगा बीएस-6 ईंधन

इस वर्ष के अंत तक राजधानी समेत राज्यभर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का बीएस-6 ईंधन मिलने लगेगा। इसके लिए इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. (आईओसीएल) बरौनी रिफाइनरी को अपग्रेड कर रहा है। इससे बिहार समेत पूर्वी यूपी, झारखंड व नेपाल में बीएस-6 ईंधन की सप्लाई होगी।

अभी दिल्ली व एनसीआर को छोड़ देशभर में बीएस-4 ईधन मिल रहा है। राज्य के बड़े शहरों पटना, मुजफ्फरपुर, गया व भागलपुर में वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

बिहार के लिए क्यों है जरूरी : बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष प्रो. एके घोष ने बताया कि बीएस-6 ईधन के इस्तेमाल से वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी। नये ईधन से हृदय और फेफड़े से होने वाली बीमारियों में भी कभी आएगी।

क्या है बीएस : बीएस का मतलब है भारत स्टेज। इसका संबंध उत्सर्जन मानकों से है। उत्सर्जन मानक को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तय करता है। भारत सरकार ने वर्ष 2000 से बीएस उत्सर्जन मानक की शुरुआत की थी।

बीएस - 6 से फायदे : • गड़ियों की दक्षता बढ़ जाएगी • प्रदूषण कम होगा • इसमें सल्फर की मात्रा बीएस 4 की तुलना में घटकर 50 पीपीएम रह जाएगी। यानी सल्फर की मात्रा पाँच गुनी तक कम होगी • डीजल कारों में नये ईंधन के इस्तेमाल से पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) 80% तक कम होगा • नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा डीजल कारों में 70% व पेट्रोल कारों में 25% तक घटेगी।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 10.5.2019)

बंद मिलों की जमीन पर खुलेंगे कारखाने

राज्य की बंद पड़ी चीनी मिलों की जमीन को बियाडा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करेगा। बंद पड़ी चीनी मिलों के पास करीब ढाई हजार एकड़ जमीन है। चुनाव आचार संहिता के समाप्त होने के बाद इस तरह का प्रस्ताव राज्य कैबिनेट में जायेगा। गन्ना उद्योग विभाग में इसकी तैयारी चल रही है। राज्य में 1980 के पहले चीनी मिलों की अच्छी स्थिति थी। राज्य में निजी क्षेत्र के साथ-साथ राज्य सरकार के अधीन वाले सुगर कॉर्पेरेशन के पास भी डेढ़ दर्जन चीनी मिलें थीं।

बियाडा करेगा औद्योगिक क्षेत्र विकसित : बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला हुआ था। 1980 के बाद धीरे-धीरे एक-एक कर चीनी मिलें बंद हो गयीं। नीतीश कुमार की जब राज्य में सरकार बनी तो बंद मिलों को चलाने की कोशिश हुई, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। अभी राज्य में 11 चीनी मिलें हैं। इसमें नौ निजी क्षेत्र में और दो सार्वजनिक क्षेत्र की है। राज्य में पहले 29 चीनी मिलें थीं। मिल बंद होने से गन्ना किसानों को काफी परेशानी हुई। देख रेख के अभाव में बंद पड़ी चीनी मिलें जर्जर हो गयीं। सभी चीनी मिलों को पास अच्छी खासी जमीन है।

राज्य सरकार ने अब निर्णय लिया है कि बंद पड़ी चीनी मिलों के पास जो जमीन है उसे औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाये। औद्योगिक क्षेत्र के विकसित करने की जिम्मेदारी बियाडा को दी जायेगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार चुनाव आचार संहिता के समाप्त होने के बाद जमीन हस्तानांतरण की प्रकिया शुरू होगी। बियाडा को जमीन मिलने के बाद विकसित कर उसे कल कारखाने की स्थापना के लिए एँलाट किया जायेगा। **(साभार : प्रभात खबर, 25.4.2019)**

कारखाना नियमों में ढील देने से सुधरेगी कारोबार सुगमता रैंकिंग

सरकार कंपनी स्थापित करने (फैक्टी लगाने) के नियमों में ढील, माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक खाते की अनिवार्यता को खत्म करने जैसे कदमों से भारत को इस साल विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में अपनी स्थिति और सुधारने में मदद मिलेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात कही। सरकार ने सभी 10 मानदंडों पर कई कदम उठाये हैं, इससे निश्चित रूप से भारत की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार करने में मदद मिलेगी। विश्व बैंक वार्षिक रिपोर्ट में विभिन्न देशों को उनके यहाँ कारोबार शुरू करने और कारोबार करने से संबंधित 10 मानकों पर रैंकिंग देता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट अक्टूबर 2019 में आने की उम्मीद है। सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनमें कई फार्मों को एक में मिलाना, 15 लाख तक की पूँजी वाली कंपनियों के लिए शुल्क समाप्त करना, कंपनी सील या रबड़ स्टाम्प को समाप्त करना और इपीएफओ और इएसआइसी के रजिस्ट्रेशन को जोड़ना शामिल है। सभी आयात और निर्यात सौदों के लिए एकल खिड़की, पोर्ट और टर्मिनल ऑपरेटरों को साझा मंच पर एकीकृत करना और बंदरगाहों पर माल की खेप निकालने के लिए तेज मंजूरी।

रैंकिंग के मुख्य मानदंड : कारोबार शुरू करना, कंस्ट्रक्शन परमिट, बिजली कनेक्शन लेना, कर्ज की मंजूरी, टैक्स पेमेंट, सीमा पार व्यापार एग्रीमेंट लागू करना, दिवाला निबटान (साभार : प्रभात खबर, 29.4.2019)

पटना जंक्शन पर अब कचरे से बनेगी बिजली

- 500 किलो प्रतिदिन गैस का होगा उत्पादन, कचरा का होगा सदुपयोग
- 30 लाख की लागत से लगेगा बायो गैस प्लांट, रोशन होगा स्टेशन परिसर
- 11 प्रमुख स्टेशनों पर पहले ही वेस्ट मैनेजमेंट की हो चुकी है व्यवस्था

रेलवे स्टेशनों पर बडे पैमाने पर कचरा निकलता है। इसको देखते हुए रेलवे ने कचरे का निस्तारण खुद ही करने की कवायद शुरू कर दी है। दानापुर मंडल के पटना जंक्शन पर वेस्ट बायो गैस सिस्टम लगाने का निर्णय लिया गया है। इस सिस्टम से बायो वेस्ट को गैस में तब्दील कर दिया जाएगा। साथ ही बिजली का भी उत्पादन किया जाएगा। पटना जंक्शन की रनिंग लॉबी और क्रू लॉबी के सारे बल्ब इसी बिजली से रोशन होंगे। इस सिस्टम को लगाने में रेलवे की ओर से लगभग 30 लाख रु० खर्च किए जाएँगे। इसमें गीले कचरे को भी डाला जाएगा।

पटना जंक्शन पर वेस्ट बायो गैस सिस्टम लगाया जा रहा है। इससे कचरा का निस्तारण किया जाएगा। कचरे को अलग-अलग रखने की व्यवस्था की जा रही है। एनजीटी का निर्देश है कि सभी प्लेटफॉर्म पर पचास मीटर की दूरी पर ही डस्टबिन लगाएं। पटना जंक्शन, राजेन्द्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र व दानापुर स्टेशनों के साथ-साथ 11 स्टेशनों के सभी प्लेटफॉर्म पर इतनी ही दूरी पर डस्टबिन लगाए जा चुके हैं। (विस्तृत : दैनिक जागरण, 6.5.2019)

2021 से मोतिहारी प्लांट से शुरू होगा एलपीजी का उत्पादन

मोतिहारी के छपरा बहास ग्राम में इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसी) के बॉटलिंग प्लांट और टर्मिनल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। लगभग 56.30 एकड़ में बन रहा यह बॉटलिंग प्लांट व टर्मिनल बिहार सबसे आधुनिक प्लांट होगा। जनवरी, 2021 तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा और एलपीजी बॉटलिंग और ईंधन की सप्लाइ मार्च से शुरू हो जायेगी। इसके बाद नेपाल को ईंधन की सप्लाइ सीधे पाइपलाइन से होगी। फिलहाल नेपाल में ईंधन की सप्लाइ रक्सौल डिपो से होती है। जबकि, बरौनी बॉटलिंग प्लांट से एलपीजी की सप्लाइ होती है।

"मोतिहारी बॉटलिंग प्लांट व टर्मिनल का काम शुरू को चुका है। मार्च, 2021 तक यहाँ से एलपीजी का उत्पादन और ईंधन की सप्लाई शुरू हो जायेगी। इसके बाद मोतिहारी से सटे जिलों के अलावा नेपाल व यूपी के कुछ हिस्सों को डीजल व पेट्रोल और एलपीजी की सप्लाइ करने में आसानी होगी। इस प्रोजेक्ट का सबसे अधिक लाभ नेपाल राष्ट्र को होगा। ईंधन के लिए इंतजार नहीं करना होगा। क्योंकि, अभी ईंधन की सप्लाइ रक्सौल डिपो से होती है।"

– वीणा कुमारी, मुख्य प्रबंधक (बिहार-झारखण्ड) आइओसी

(विस्तृत : प्रभात खबर, 30.4.2019)

जुलाई से सिलेंडरों की रीफिलिंग

बांका जिले के मधुसूदनपुर में बन रहा गैस बॉटलिंग प्लांट जुलाई में शुरू हो जाएगा। इंडियन ऑयल कापोरिशन लिमिटेड (आईओसीएल) द्वारा बनाए जा रहे सूबे के चौथे प्लांट से रसोई गैस सिलेंडर रीफिलिंग होने से पटना समेत बिहार-झारखंड के 11 से अधिक जिलों को फायदा होगा।

कई जिलों के उपभोक्ताओं को होगा फायदा : प्लांट से बांका, भागलपुर, जमुई, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज के अलावा झारखंड के गोड्डा, दुमका व देवघर जिले में सिलेंडर की आपूर्ति होगी। फिलहाल इन जिलों में बरौनी व बोकारो से आपूर्ति होती है। आईओसीएल की मुख्य प्रबंधक वीणा कुमारी ने बताया कि प्लांट को पेट्रोलियम मंत्रालय ने जून, 2013 में स्वीकृति दी थी। (विस्तृत : हिन्दुस्तान, 1.5.2019)

जल्द मिलेगा 425 किलो का एलपीजी सिलिंडर

कॉमर्शियल सिलिंडर की बढती मांग को देखते हुए लिया फैसला

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बिहार के औद्योगिक इकाइयों के लिए इस साल के अंत तक 425 किलोग्राम जंबो एलपीजी सिलिंडर उतारेगी। यह सिलिंडर इंडेन जंबो के नाम से जाना जायेगा। इस तरह के सिलिंडर को मिनी-बल्क कहा जाता है। इसके उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। आइओसी ने यह फैसला बिहार में कॉमर्शियल सिलिंडर की बढ़ती मांग को देखते हुए लिया है। इसके लिए कंपनी की ओर से सेल्स की टीम सर्वे का काम कर रही है। फिलहास इस तरह के सिलिंडर का प्रयोग कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र आदि औद्योगिक इलाके में लगी इकाइयों में हो रहा है। इसकी कीमत लगभग 31 हजार रुपये होगी। जबकि 47.50 किलोग्राम कॉमर्शियल सिलिंडर की कीमत लगभग 3743 रुपये है। जानकारी के अनुसार बिहार के औद्योगिक क्षेत्र पटना, फतुहा, बिहटा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा (पंडोल), बेगूसराय, बक्सर, गया, भागलपुर, औरंगाबाद में लगे औद्योगिक इकाइयों को इससे फायदा होगा। फिलहाल बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ तेल कंपनियों से सीधे टैंकर से गैस लेती है। उनके लिए नया जंबो सिलिंडर आने पर रख-रखाव में आसानी होगी। साइज में बड़े आकार के बावजूद जंबो को संभालना आसान है और इसे जल्दी से स्थापित किया जा सकता है। दावा है कि औद्योगिक इकाइयों को अब गैस का इंतजार नहीं करना होगा।

अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार सूबे में औद्योगिक इकाइयों को हर माह छह हजार से अधिक 47.50 किलोग्राम के कॉमर्शियल सिलिंडर की सप्लाइ की जाती है। इनमें अकेले पटना में लगभग 400 सिलिंडर की सप्लाइ होती है। 425 किलोग्राम सिलिंडर की सप्लाइ आरा स्थित गिद्ध बॉटलिंग प्लांट से किया जायेगा। सिलिंडर तैयार करने की जिम्मेदारी तमिलनाडु की कंपनी को दे दिया गया है। बिहार से पहले जमशेदपुर में जंबो सिलिंडर को अगस्त में उतारा जायेगा। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी हैं।

लाइसेंस की जरूरत नहीं : "उम्मीद है कि इस साल के अंत तक औद्योगिक इकाइयों को जंबो सिलिंडर मिलने लगेगा। इसके लिए औद्योगिक एरिया में सर्वे का काम चल रहा है। इस कॉमर्शियल सिलिंडर को सीधे कंपनी या वितरक के माध्यम से बुक कराया जा सकता है। इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी।" – वीणा कुमारी, मुख्य प्रबंधक, आइओसी (बिहार-झारखंड कार्यालय) (साभार : प्रभात खबर, 6.5.2019)

फ्लैट खरीदते समय घटे जीएसटी का उठाएँ लाभ

रियल एस्टेट का सीधा संबंध आम नागरिक से है और मकान हर परिवार की जरूरत है। पिछले कुछ समय से रियल एस्टेट में जीएसटी की दरों को लेकर काफी उथल-पुथल रही है, जहाँ सर्विस टैक्स के दौरान आवासीय मकान पर सर्विस टैक्स की प्रभावी दर 4.5 फीसदी थी। वहीं जीएसटी में यह बढ़ कर किफायती और गैर किफायती आवास पर बढ़कर क्रमश: 8 फीसदी और 12 फीसदी हो गयी थी। दर बढ़ाने से सरकार का आशय आमजनों पर कर का बोझ बढ़ाना नहीं था, बल्कि बिल्डर को इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा दी गयी थी, जिससे उनकी लागत 8-10 फीसदी तक कम होने का अनुमान था।

बुकिंग कैंसिल करने पर जीएसटी के साथ लौटानी होगी रकम : जब खरीदार अपनी बुकिंग कैंसिल करता था, तो बिल्डर द्वारा उससे ली गयी जीएसटी को कैंसिल करने के बाद वापस नहीं लौटाया जाता था, जबकि जीएसटी के नियमों के अनुसार ऐसी स्थिति में बिल्डर द्वारा रिफंड एडवाइस जारी कर या क्रेडिट नोट जारी कर ली गयी रकम को जीएसटी के साथ वापस करने का प्रावधान है। जानकारी के अभाव में उपभोक्ता इसकी मांग नहीं करते हैं। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सचिन चन्द्र के अनुसार बुकिंग फ्लैट कैंसिल होने का सवाल है तो बिहार में इसकी संख्या 50-60 फ्लैट होने की उम्मीद है।

एक अप्रैल से किया गया है नियम में बदलाव : वरीय चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश कुमार खेतान ने बताया कि सरकार ने एक अप्रैल से इसमें व्यापक फेरबदल करते हुए इस तिथि से बाद शुरू होने वाले आवासीय रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ समाप्त करते हुए जीएसटी की दर को किफायती और गैर किफायती आवास के लिए प्रभावी दर क्रमश: 1 और 5 फीसदी कर दी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सरकार द्वारा बिल्डर को वैसे प्रोजेक्ट जो एक अप्रैल के पहले शुरू हो चुके थे, अभी तक पूरे नहीं हो पाये है। उनमें जीएसटी की एक या पाँच फीसदी किफायती आवास पर और 8 या 12 फीसदी गैर किफायती आवास पर, में से कोई एक दर चुनने का विकल्प दिया है। इस विकल्प को चुनने की आखिरी तिथि 20 मई कर दी गयी है। अगर कोई बिल्डर नयी दर चुनता है, तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट को दिये गये अनुपात में वापस करना होगा। जिस बिल्डर ने जीएसटी लगने पर मकान के दरों में कोई कमी नहीं कि थी, उनसे उपभोक्ता अब 12 फीसदी की दर देने के लिए तैयार नहीं भी हो सकते हैं। उस बिल्डर ने 12 फीसदी का विकल्प चुना है, तो उसे हर हाल में 12 फीसदी ही देने होंगे। **(साभार : प्रभात खबर, 11.5.2019)**

तेजी से बढ़ते फूड ऐप पर लगाम कसेगी बिहार सरकार

बिहार सरकार अब खाने का ऑनलाइन ऑर्डर लेने एवं इसकी आपूर्ति करने वाली कंपनियों पर लगाम कसने की तैयारी में है। अब ऐसी कंपनियों को राज्य सरकार से लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा उन्हें भारतीय खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के नियमों का भी पालन करना होगा।

बिहार में मोबाइल ऐप्लीकेशंन (ऐप) जरिये खाने का ऑर्डर लेने और पहुँचाने वाली कंपनियों के पाँव पसारने के मद्देनजर राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है।

राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इन कंपनियों पर लगाम कसने का फैसला लिया है। इसके तहत इन कंपनियों को अब बिहार में कारोबार करने के लिए राज्य सरकार से लाइसेंस लेना होगा। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 17.4.2019)**

डाकघर व बिजली ऑफिस से एसी खरीदें 30% सस्ते

अगर आप एसी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो अगस्त तक इंतजार करें, अगस्त से प्रदेश के 1200 डाकघरों और 184 बिजली कार्यालयों से एयरकंडीशनर (एसी) की बिक्री होगी, जो मार्केट प्राइस (फाइव स्टार) से 30% कम कीमत की होगी। यह तैयारी सरकारी कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड (इइएसएल) कर रही है, जो विद्युत मंत्रालय के तहत पीएसयू का संयुक्त उद्यम है। इइएसएल ने इसका नाम रखा है सुपर एफिशिएंट एयरकंडीशनर। ग्राहकों को एकमुश्त भुगतान करना होगा।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 11.5.2019)

कॉमर्शियल वाहनों की जाँच ऑटोमेटिव फिटनेस सेंटर से

प्राइवेट फिटनेस सेंटर से मनमाना सर्टिफिकेट लेकर चलने वाले अनफिट कॉमर्शियल वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने गंभीरता दिखायी है। परिवहन विभाग जल्द ही कॉमर्शियल वाहनों के फिटनेस सहित प्रदूषण जाँच के लिए आधुनिक ऑटोमेटिव फिटनेस सेंटर स्थापित करेगा। पहले प्रमंडल मुख्यालयों में सेंटर स्थापित होगा। इसके बाद जिला मुख्यालयों में सेंटर बनेगा। प्रमंडल मुख्यालयों में सेंटर स्थापित होने में लगभग 15 करोड़ खर्च होंगे। बिहटा में पहला ऑटोमेटिव फिटनेस सेंटर बनेगा। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 8.5.2019)**

AIR INDIA OFFERS 40% DISCOUNT ON LAST-MIN BOOKING

Air India has come to the relief of last-minute domestic travellers who are forced to travel at short notice due to pressing reasons but have to shell out exorbitant spot fares to do so. The airline will now offer over 40% discounts on unsold tickets of domestic flights that are to depart within three hours.

AI spokesman Dhananjay Kumar said the airline took this decision at its commercial review meeting, "Last-minute passengers generally travel due to an emergency and are often faced with very high ticket prices ... AI has therefore decided for domestic sector that 'very last moment inventory', available seats within 3 hours of departure, would be sold at a hefty discount, normally exceeding 40% of the selling price," he said. These last-minute discounted "tickets can be purchased from all outlets including AI booking counters, AI mobile app, AI website and travel agents," Kumar added. **(Secure : Times of India, 11.5.2019)**

चेन्नई, बेंगलुरु, मुम्बई व हैदराबाद को नई फ्लाइट

पटना से मुम्बई, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए स्पाइस जेट की नई फ्लाइट शुरू हो रही है। इसमें मुम्बई-पटना-बुम्बई के बीच नई फ्लाइट रोजाना उड़ान भरेगी। पटना से चेन्नई और हैदराबाद जाने वाली पुरानी फ्लाइट भी फिर से उड़ान भरेगी। मुम्बई से एसजी 6258 सुबह 10.30 बजे उड़ान भरेगी और पटना एयरपोर्ट पर 12:45 बजे पहुँचेगी। पटना से यह एसजी 6284 बनकर 01:15 बजे रवाना होंगी और मुम्बई 4:05 बजे पहुँचेगी।

चेन्नई से एसजी 731 सुबह 06.15 बजे रवाना होगी और 08:05 बजे हैदराबाद पहुँचेगी। यहाँ से उड़ान भरकर पटना 10:10 में पहुँचेगी। यही विमान बुधवार से सोमवार तक सुबह 10:40 बजे बेंगलुरु के लिए रवाना होगी और 1:30 बजे बेंगलुरु पहुँचेगी। मंगलवार को यह फ्लाइट 10:40 बजे चेन्नई के लिए रवाना होगी और वहाँ 1:10 बजे पहुँचेगी। स्पाइसजेट की फ्लाइट चेन्नई से 2:40 में टेकऑफ करने के बाद पटना एयरपोर्ट पर शाम 5:05 बजे लैंड करेगी। बेंगलूरु पटना, हैदराबाद, चेन्नई के बीच एक दूसरी फ्लाइट बेंगलुरु से बुधवार से सोमवार तक दोपहर 2:30 बजे टेकऑफ करेगी और पटना एयरपोर्ट पर 5:05 बजे आएगी। फिर यहाँ से शाम 5:40 बजे हैदराबाद और चेन्नई के लिए रवाना होगी। यह रात दस बजे चेन्नई पहुँचेगी। **(साभार : दैनिक जागरण, 10.5.2019)**

मेट्रो से जुड़ेंगे पटना व बिहटा एयरपोर्ट

पटना एयरपोर्ट व बिहटा में बन रहे एयरपोर्ट को मेट्रो से जोड़ा जाएगा। दानापुर से बिहटा एयरपोर्ट के लिए मेट्रो चलाने की योजना में खगौल रेलवे स्टेशन भी जुड़ जाएगा। यह काम दूसरे फेज में होगा। विस्तार के क्रम में पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन भी मेट्रो से जुड़ेगा। आर-ब्लॉक से दीघा के बीच भी मेट्रो दौड़ेगी। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 18.4.2019)**

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296